मुन्तकिली प्रकरण सं0 88/2015 अनवानी जगरूप सिंह पुत्र रामसिंह उर्फ अन्ग्रेज सिंह जाति जटसिख नि0 36 आरबीबी तह0 पदमपुर बनाम 1–मेवा सिंह पुत्र संतोख सिंह जाति जटसिख नि0 38 आरबी तह0 पदमपुर 2–जसकरणसिंह 3–ज्ञानिया 4–कश्मीर सिंह 5–अति. जिलाधीश (प्र0) 6–सुखबीर कौर 7–राजेन्द्र सिंह 8–रघुवीर सिंह 9–तहसीलदार पदमपुर 10–स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पदमपुर

03.08.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी. बतरा उपस्थित है। अप्रार्थी जसकरण सिंह के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी जसकरण सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित अपील संख्या 56/2012 अनवानी मेवा सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित अपील ईन्तकाल संख्या 56/2012 अनवानी मेवा सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और व कार्य मुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1495
3-8-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर